मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1995 (भाद्र 27, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें:-

(क) क्रमांक एफ-9-11/95/23/यो-2 दिनांक 17 जुलाई, 1995
(ख) क्रमांक एफ.9-11-95-तेईस-यो-2 दिनांक 28 अगस्त, 1995 ; तथा
(ग) क्रमांक एफ.9-93-95-तेईस-यो-2 दिनांक 30 अगस्त, 1995,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, बंशीलाल जाटव, धरमू राय, सदस्य, कटनी तहसील के बरही थानान्तर्गत खदानों में कार्यरत श्रमिकों को पुलिस कर्मियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपाल परमार, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सदस्य, शाजापुर जिले के बड़ोद सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का उन्तालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तैतालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां एवं छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 30 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 32 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 29 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 30 मि.) (1) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 17 सितम्बर, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा